(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-557-एक/05 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.04.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 13/2004-05/अपील

---

1. श्यामलाल
2. अमर सिंह
3. रामस्वरूप
4. मनीराम पुत्रगण मनकाराम कुशवाहा

निवासी कस्वा करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. योगेन्द्र कुमार पुत्र केशरीचन्द्र वैश्य
   निवासी करैरा
2. प्रकाशचन्द्र
3. बच्चनलाल पुत्रगण बाबूलाल वैश्य
   निवासी राजेश्वरी रोड, शिवपुरी
4. श्रीमती ममता शर्मा पत्नी विनोद शर्मा
5. श्रीमती कमला देवी पत्नी सूबेदार सिंह जाटव
6. खुशीलाल पुत्र हल्के राम धोबी,
   सभी निवासी न्यू कॉलोनी करैरा जिला शिवपुरी
7. तहसीलदार करैरा
8. अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल)
   करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. श्रीवास्तव
अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं

आदेश

(आज दिनांक...22/03/18.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 13/2004-05/अपील में पारित आदेश दिनांक 19.04.2005 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा कस्बा करैरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 1530/2, 1757/1 का बटांकन किए जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर उनके आदेश दिनांक 18.09.2003 द्वारा बटांकन किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 09.08.2004 द्वारा अस्वीकार की। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जो अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 19.04.2005 द्वारा अस्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि बटांकन प्रकरण में आवेदकगण शामिल सरीक खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार का स्टेट्स रखते थे, परंतु आवेदकगण को जान-बूझकर ना तो अनावेदक क्र. 1 ने और ना ही तहसीलदार करैरा ने बटांकन के प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया और न उन्हें कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। यहां तक कि पटवारी ने मौके की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाते समय आवेदकगण को उपरोक्त भूमि के मौके पर उपस्थित रहने के लिए आहुत नहीं किया व उनकी अनुपस्थिति में गलत पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार करैरा ने बटांकन आदेश पारित कर दिया। अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है।

4. अनावेदकगणों को रजिस्टर्ड डाक से सूचना-पत्र भेजे गए थे, परंतु उनकी ओर से काई उपस्थित नहीं है।

5. आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। अभिलेख

को देखने से यह पाया जाता है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तिहार प्रकाशित कराया जाकर विधिवत आपत्तियां आहुत की गईं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा खसरे में पूर्व से ही अंकित प्रविष्टि के आधार पर ही नक्शे में बटांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेश में की है। प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण अधीनस्थ नयायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर